विविध बैंक प्रकरण संख्या 113/2019 (RCMS 2019/00190) इंडियन बैंक, शाखा श्रीगंगानगर (राज.) जरिये श्री राम कृष्ण मीणा प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, इंडियन बैंक, 10, मोतीलाल अटल रोड़, जयपुर (राज.) बनाम 1 मैसर्स सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री राजेन्द्र कुमार सिंगल पुत्र श्री हंसराज 2. श्रीमती किरण बाला पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार सिंगल निवासी मकान नं. 166, बापू नगर, राजकीय अस्पताल के पीछे, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.03.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी कम्पनी के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता नितिन कुमार वाट्स उपस्थित है।

अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.06.2019 को कैविएट प्रस्तुत की गई थी, जो इस कार्यालय में विविध प्रार्थना पत्र संख्या 69/2019 को मै. सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी – राजेन्द्र कुमार सिंगल बनाम इंडियन बैंक, श्रीगंगानगर के रूप में दर्ज की गई तथा दिनांक 06.11.2019 के आदेश से उक्त पत्रावली में शमिल की गई है। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 06.09.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी – प्रो. राजेन्द्र कुमार सिंगल को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक 07.01.2019 को 18.50/– लाख रूपये (अखरे रूपये अठारह लाख पचास हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था, जिसकी गारंटर किरण बाला है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार सिंगल की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 167(क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं0 15, चक 6 ई छोटी, बापूनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 13(क्षेत्रफल 312.50 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं. 16, चक 6 ई छोटी, बापू नगर, तहसील व जिला श्रीगंगनगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 07.01.2019 को 20,99,530/— रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस भेजने की रसीद एवं पावती के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र कुमार सिंगल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 167 (क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं0 15, चक 6 ई छोटी, बापूनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 13(क्षेत्रफल 312.50 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं. 16, चक 6 ई छोटी, बापू नगर, तहसील व जिला श्रीगंगनगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन था कि उनके द्वारा ऋण स्वीकृति के समय स्टॉक बंधक रखा गया था न कि किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति। इसलिए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मैसर्स सूर्या ट्रेडिंग—प्रो. राजेन्द्र कुमार सिंगल को** 29.06.2017 को 18.50/— लाख रूपये (अखरे रूपये अठारह लाख पचास हजार मात्र) **की ऋण राशि की स्वीकृति**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रदान की थी जिसकी गारंटर श्रीमती किरण बाला है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार सिंगल की उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 167 (क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं0 15, चक 6 ई छोटी, बापूनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 13 (क्षेत्रफल 312.50 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं. 16, चक 6 ई छोटी, बापू नगर, तहसील व जिला श्रीगंगनगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.01.2019 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीद एवं** धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति का ऑनलाईन ट्रेक की प्रति पेश की हुई है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पत्ति** अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 167 (क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं0 15, चक 6 ई छोटी, बापूनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 13(क्षेत्रफल 312.50 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं. 16, चक 6 ई छोटी, बापू नगर, तहसील व जिला श्रीगंगनगर **जो ऋणी राजेन्द्र कुमार सिंगल के नाम से है**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.01.2019 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.01.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मैसर्स सूर्या ट्रेडिंग कम्पनी – प्रो. राजेन्द्र कुमार सिंगल को रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है, परिणास्वरूप नोटिस भिजवाने की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। ऋणियों अनिल कुमार एवं माया देवी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति की ऑनलाईन ट्रैक कन्साईन्मैंट की प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को नोटिस की तामील हो चुकी है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजेन्द्र कुमार सिंगल की अचल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 167 (क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं0 15, चक 6 ई छोटी, बापूनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 13(क्षेत्रफल 312.50 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं. 16, चक 6 ई छोटी, बापू नगर, तहसील व जिला श्रीगंगनगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी इंडियन बैंक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.09.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र कुमार सिंगल द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 167 (क्षेत्रफल 750 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं0 15, चक 6 ई छोटी, बापूनगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं व्यावसायिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 13(क्षेत्रफल 312.50 वर्गफुट), मुरब्बा नं. 51, किल्ला नं. 16, चक 6 ई छोटी, बापू नगर, तहसील व जिला श्रीगंगनगर में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रस्तुत कैविएट प्रार्थना पत्र 69/2019 उक्त मूल पत्रावली में शामिल किया जाकर जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर